

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठारीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

मि0न0 - 364 / 2017

1 केसराराम पुत्र लिछमन राम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनु0
वदी

बनाम्

1. कृष्ण कुमार

2. पारो देवी

3. सुपारो देवी -

4. चिड़िया देवी

पि0 लिछमण राम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।

5. तुलछा देवी पुत्री लिछमण राम पत्नि सुभाष भादू (प्रतिवादीस0 2 ता 5 का नाम हटाया)
6. वेदप्रकाश (फौत)

6/1. लक्ष्मी पत्नि स्व. वेदप्रकाश

6/2. जतिन पुत्र स्व. वेदप्रकाश नाबालिग जरीये माता लक्ष्मी

6/3. चारू पुत्री स्व. वेदप्रकाश नाबालिग जरीये माता लक्ष्मी

6/4. विद्या देवी पत्नि धन्नाराम जाति- जाट

साकिनाय कुलचन्द्र
तहसील टिब्बी।

7. विनोद कुमार पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी।

8- सुमन पुत्री धन्ना राम पत्नि राजेन्द्र जाखड. नि. लाधुवाला तह0 सादुलशहर जिला -
श्रीगंगानगर।

9 सौरभ पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी बोदीवाला तहसीलद व जिला फाजिल्का।

10 श्रीमान तहसीलदार राजस्व टिब्बी

11 सुमित्रा पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

अन्तिम डिक्री

दिनांक..27/5/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वर्मा व प्रतिवादी स0 1 अधिवक्ता श्री जेपी
शर्मा निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया
जाकर डिक्री किया जाता है:- वादी केसराराम को प्राप्त आराजी:- चक 7
सीडीआर के प0न0 224/243 मु0 न0 4 किला न0 14, 15/1/.228, 15/2/.025,
16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2, प0न0 224/244 मु0 21 किला न0 5/.215,
प0न0 225/243 मु0 5 किला न0 21/.215, 22, 23/1/.141 कुल रकबा 2.342
बहरी मैय गै0मु0


प्रतिवादी कृष्णलाल पुत्र लिछमनराम को प्राप्त आराजी चक 7 सीडीआर के प0न0
224/244 मु0 न0 21 किला न0 6, प0न0 225/244 मु0 20 किला न0 1/1, 1/2,

2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7 ता 10 कुल रकबा 2.530
नहरी मय गै0मु0

प्रतिवादीगण चारु पुत्री वेदप्रकाश 108 हिस्सा, जतिन पुत्र वेदप्रकाश 726 हि0,
विजयलक्ष्मी पत्नी वेदप्रकाश 215, हिस्सा विनोद कुमार पुत्र घनाराम 833
हिस्सा, सुमन पुत्री घनाराम 108 हिस्सा, सुमित्रा पत्नी विनोद कुमार 215
हिस्सा, सोरभ पुत्र सुभाष 108 हिस्सा, को प्राप्त आराजी चक 7 सीडीआर के
प0न0 225/243 मु0 न0 5 किला न0 11/.215, 12 ता 14, 17/1/.240, 17/2/.
013, 18, 19, 20/.215, 23/2/.112, 24 कुल रकबा 2.313 नहरी मैय गै0मु0

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि
पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद यदि किसी
सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। खर्चा
उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 22/5/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यदीप राय) ए एस
उपस्थायिक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी